

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-150/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० मोहन कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), अनुमंडल अस्पताल, पुपरी, सीतामढ़ी को दिनांक-30.09.2021 को सीनियर रेजिडेंट का टेन्योर समाप्ति के उपरान्त डा० कुमार द्वारा दिनांक-04.10.2021 को स्वास्थ्य विभाग में योगदान दिया गया। डा० कुमार दिनांक-04.10.2021 से 19.11.2021 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे। स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-193(2) दिनांक-06.02.2023 द्वारा उक्त प्रभार रहित अवधि को विनियमित किया गया है। डा० कुमार द्वारा दिनांक-01.10.2021 से 03.10.2021 तक की अवधि को देय अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से प्राप्त परामर्श के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-193(2) दिनांक-06.02.2023 के क्रम में डा० मोहन कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), अनुमंडल अस्पताल, पुपरी, सीतामढ़ी द्वारा उपभोगित अवकाश दिनांक-01.10.2021 से 03.10.2021 तक को देय अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-150/2022

744 (2) पटना, दिनांक 15/15/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उपाधीक्षक, अनुमंडल अस्पताल, पुपरी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० मोहन कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग), अनुमंडल अस्पताल, पुपरी, सीतामढ़ी/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।